क्रम-संख्या—142(घ)

रजि0 नं0 एल0डब्लू0/एल0पी0 890

लाइसेन्स नं0 डब्लू0पी0—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 17 अप्रैल, 2000

चैत्र 28, 1922 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 945/सत्रह-वि-1—1 (क) 8-2000

लखनऊ, 17 अप्रैल, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 16 अप्रैल, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2000

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2000]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा।

(2) यह पहली जनवरी, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में,--

(क) उपधारा (3) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1999" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 2000" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (7) में शब्द "अट्ठारह माह", प्रतिबन्धात्मक खण्ड को सम्मिलित करते हुए जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे।

वैधीकरण

3--मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम की धारा 29 के अधीन नियुक्त प्रशासक या प्रशासक कमेटी, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रबन्ध कमेटी के अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन कर रही थी, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 29 के अधीन प्रशासक या प्रशासक कमेटी के रूप में विधिमान्यतः निरन्तर नियुक्त समझी जायगी और ऐसे प्रारम्भ को या उसके पश्चात् ऐसे प्रशासक या प्रशासक कमेटी द्वारा कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य समझी जायगी मानो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

निरसन और अपवाद

4--(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

योगेन्द्र राम त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव।

No. 945 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 8-2000

Dated Lucknow, April 17, 2000

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 16, 2000 :

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2000

[U. P. ACT No. 14 of 2000]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on January 1, 2000.

Amendment of section 29 of U. P. Act no. 11 of 1966

2. In section 29 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) in sub-section (3), in the proviso *for* the word and figures, "December 31, 1999" the word and figures "June 30, 2000" shall be *substituted*;

(82)

(*b*) in sub-section (7) *for* the words "eighteen months", wherever occurring including the proviso, the words "two years" shall be *substituted*.

Validation

3. Notwithstanding anything contained in the principal Act, the Administrator or Committee of Administrators appointed under section 29 of the principal Act and exercising the powers and performing the duties of the Committee of Management immediately before the commencement of this Act, shall be deemed to have validly continued to be appointed as Administrator or Committee of Administrators under section 29 of the principal Act as amended by this Act and anything done or any action taken by such Administrator or Committee of Administrators on or after such commencement, shall be deemed to be valid as if the principal Act as amended by this Act were in force at all material times.

Repeal and savings

U. P. Ordinance no. 5 of 2000

4. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2000 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (*1*), shall be deemed to have done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv,

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 24 सा० विधा०—(183)—2000—850 (मैक०)।

(83)